

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹.10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AC 076644

40 महिलावास नमस्तीय क्षेत्र ठाण्ड
शपथ पत्र
मार्च - 20



ATTESTED

[Handwritten signature]

अजय कुमार शिवेदी
एडवोकेट-नोटेरी
राज्यीय प्रान्त, फुल्लमगन(2000)

यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से सजावट किये अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी एस किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामलें) में विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पुराने ब्यारे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय के नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गये थे	लागू नहीं होता
(च)	या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सीसी गई है/हैं	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामलें) में विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

पूर्ववर्तित मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) द्वारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्ववर्तित आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यारे	लागू नहीं होता

- [Signature]

11. मुझे जिला अदालत (अपराधी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1953 (1953 का 43) की धारा 6 के उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधी) से निम्न के लिए सिद्धाक्ष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक वर्ष के लिए कारावास का दण्डादेश किया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिलेखी उपरोक्त में सिद्धाक्ष ठहराया गया और दंडादेश किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धाक्ष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धाक्ष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	आधरोपित दंड	लागू नहीं होता
क्या सिद्धाक्ष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रारिथति		लागू नहीं होता



(7) मैं मेरे मेरे प्रति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे :

टिप्पणी-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा/विनिधान की दिशा में कम से कम रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिये जाने हैं।
3. सूचीबद्ध कंपनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 76 क के अधीन स्पष्टीकरण (6) में है।
5. रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

[Handwritten signature]

ख- पञ्चावर अस्तियों के बारे

विषय-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को सुपेपरिस्क्रिब करके हुए संयुक्त नाम में अस्तियों का विवरण दिया जाना है।
2. प्रत्येक भूमि का भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में प्रत्येकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्तर	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(1)	भूमि भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति) संख्या (संख्या)	प्लॉट नं. 100/1/2 (प्लॉट नं. 100/1/2) संख्या 100/1/2/100/1/2	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	शेड (एकड़ में कुल माप)	1.431 हेक्टेयर	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	इस प्लॉट में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	स्वामित्व संपत्ति की दशा में क्या की तारीख	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	क्या के समय भूमि की लागत (क्या की दशा में)	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	विशेष ध्यान दें:					
	अवस्थिति (अवस्थिति)	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	संख्या (संख्या)	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	शेड (एकड़ में कुल माप)	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	इस प्लॉट में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	स्वामित्व संपत्ति की दशा में क्या की तारीख	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	क्या के समय भूमि की लागत (क्या की दशा में)	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्माण	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
	अनुमानित मान, बाजार मूल्य	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.	श.प.
(2)		4000000/-				



Handwritten signature or initials.

iii	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्या (संख्या) एक (दो) फुट में कुल माप	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	निर्मित एक (दो) फुट में कुल माप	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	नका विवरण में आइ संपत्ति है (है या नहीं)	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	स्वाक्षिप्त संपत्ति की दशा में कब की तारीख	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	कब से समग्र मुक्ति की लागत (कर की दशा में)	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	विकास, सन्निमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	अनुमानित घूल बाजार मूल्य	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
iv	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्या (संख्या) एक (दो) फुट में कुल माप	दो हिस्सा आवासीय भवन निम्न उल्लेख हस्ताक्षर	गो (नो) गैर नग्न (नग्न) म (म) आवासीय भवन	२२-५	२२-५	२२-५
	निर्मित एक (दो) फुट में कुल माप	८७०० का फुट ७२०० का फुट	१७५ का फुट १७५ का फुट	२२-५	२२-५	२२-५
	विकास, संपत्ति में कोई विनिधान	है	नहीं	२२-५	२२-५	२२-५
	स्वाक्षिप्त संपत्ति की दशा में कब की तारीख	२२-५	२०१०	२२-५	२२-५	२२-५
	कब से समग्र मुक्ति की लागत (कर की दशा में)	२२-५	१२५००० = ₹	२२-५	२२-५	२२-५
	विकास, सन्निमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२२-५	२००,००० = ₹	२२-५	२२-५	२२-५
	अनुमानित घूल बाजार मूल्य	२०,००,००० = ₹	२०,००,००० = ₹	२२-५	२२-५	२२-५
v	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
vi	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल घूल बाजार मूल्य	६०,००,००० = ₹	२०,००,००० = ₹	२२-५	२२-५	२२-५



Handwritten signature

किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है -
 (विधायी) कुल मूल्य, मूल्य, निःशुल्क या वारिष्ठिक का नाम और उससे प्रत्येक के समकक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/दिलीट संस्था (संस्थाओं) को ऋण या आच्छेद बैंक या दिलीट संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	पूर्वापण ज्ञापित से भिन्न किन्हीं अन्य वारिष्ठिकों, निःशुल्क ऋण या शोध नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	कोई अन्य वारिष्ठिक	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	दत्तवस्तु का कुल योग	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	टेलीफोन/मावाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	सर्विस/सर्विशन प्रायुष्य और इन्फिन्ट्रिस्ट सहित से बरतने वाले विभाग को शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	आयकर शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	सूचना शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	संपत्ति कर शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	विक्रय कर शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
	कोई अन्य शोध	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
(iii)	सभी सरकारी शोध का कुल योग	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५
(iv)	क्या कोई अन्य वारिष्ठिक विवादाधीन है यदि हाँ तो अवैतनिक रकम और उस प्राधिकारी के नाम के समक्ष वह लिखित है का वर्णन करें।	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५	२२-५



[Handwritten signature]

६. आश्रितों और दायित्वों के व्योम (रूप में)		स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
विवरण						
क	जन्म आश्रितियां (कुल मूल्य)	43792200	47500000	79600000	१२-५	१२-५
ख	स्थावर आश्रितियां				१२-५	१२-५
	I. स्थायित्व स्थावर संपत्ति की कट कोषण	१२-५	92500000	१२-५	१२-५	१२-५
	II. कट के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सुविधागत लागत (यदि लागू हो)	१२-५	20900000	१२-५	१२-५	१२-५
	_____की	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	१२-५	29000000	१२-५	१२-५	१२-५
	(क) स्थायित्व आश्रितियां (कुल मूल्य)	१२-५	112500000	१२-५	१२-५	१२-५
	(ख) विरासती आश्रितियां (कुल मूल्य)	60000000	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
७. दायित्व						
I.	सरकारी शोध (कुल)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
II.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
18. सभी दायित्व जा विवादाधीन हैं						
	I. सरकारी शोध (कुल)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५
	II. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५	१२-५



सर्वोत्तम/सर्वोत्तम शैक्षिक महत्ता: _____
 _____/डिप्टी पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रत्यक्ष का चरखे का रूप में हुए सर्वोत्तम विद्यालय/विश्वविद्यालय
 शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था की
 कोरे हैं। 30/04/2016 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, उ.प्र. के 1985

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसारी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद. 5 और 6 में उल्लिखित दोगसिद्धि का नामला या संबंधित मामले से भिन्न कोई भी दोगसिद्धि का नामला या संबंधित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे प्रति उल्लिखित या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आश्रित या दायित्व से भिन्न कोई आश्रित या दायित्व नहीं है।

_____ को सत्यापित किया।
 Notarized by _____

अजय कुमार शिवेदी
 सत्यापक-जोड़ेरी

अभिज्ञान

शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष
की जानी चाहिए।

3. सभी स्तम्भों का भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने
के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना
चाहिए।

4. शपथपत्र टिकित के सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

5 :

अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट
याचिका (सिविल) वर्ष 2008 की रा0 121-रिसरजॉस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में
दिये गये दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक
है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग
अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी
कॉलम भरे हुये हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के
लिए एक अनुस्मारक देगे। माननीय न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत
करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथाचित टिप्पणी जैसे : "शून्य" या "लागू नहीं
हस्ता" या "जान नहीं है" जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं
छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है, तो
नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किये जाने के लिये
उत्तरदायी होंगे।

6 :

शपथ पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए-

पेरा टेलीफोन नं० है/हैं।

पेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) है।

और पत्र मोबाइल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) है।